

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,  
ग्राम्य विकास एवं  
पंचायती राज विभाग  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
पंचायती राज विभाग,  
उ०प्र० लखनऊ।
2. उप निदेशक,  
जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक  
उ०प्र० लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 31 जनवरी, 2019

विषय:-फील्ड के अधिकारियों को मुख्यालय पर न बुलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर यह निर्देश दिये गये हैं कि फील्ड के अधिकारियों को यथासम्भव मुख्यालय पर न बुलाया जाय और सामान्यतः कार्यों की प्रगति जानने व निर्देश प्रसारित करने, अनुपालन आख्या मांगने इत्यादि के लिए उनसे वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बात की जाय और फील्ड के अधिकारीगण अपरिहार्य परिस्थितियों में एवं पूर्वानुमति से ही अपने तैनाती के स्थल को छोड़ेंगे।

अतः कृपया सुनिश्चित करें कि भविष्य में कोई भी उपनिदेशक, पंचायती राज/जिला पंचायत राज अधिकारी/प्रभारी जिला पंचायत राज अधिकारी और उनके अधीनस्थ कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना निदेशक, पंचायती राज की लिखित अनुमति के अपने तैनाती स्थल को नहीं छोड़ेंगे। फील्ड में तैनात अपर मुख्य अधिकारी अथवा जिला पंचायत के अन्य अधिकारी/ कर्मचारी बिना अधोहस्ताक्षरी के पूर्व अनुमति के मुख्यालय पर नहीं आयेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

कृपया सप्ताह में एक बार इन लोगों के साथ वीडियो कान्फ़ेरेन्सिंग करके सूचना प्राप्त की जाय तथा प्रगति की समीक्षा की जाए।

भवदीय

(अनुराग श्रीवास्तव)  
प्रमुख सचिव।

संख्या-6/2019/132/33-1-2019तद्विनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पंचायती राज विभाग।
- (2)- निजी सचिव, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
- (3)- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, 30प्र0 शासन।
- (4)- सचिव, पंचायती राज विभाग, 30प्र0 शासन।
- (5)- समस्त मण्डलीय, उपनिदेशक, पंचायत।
- (6)- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत 30प्र0।
- (7)- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी।

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)  
सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।